



# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, फ़ैक्स: 0771-2331525, 2446556 वेबसाईट: www.psc.cg.gov.in



क्रमांक 4018/75/परीक्षा/2022

रायपुर, दिनांक 7 DEC 2022

## “राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2022 के संबंध में दिव्यांगजनों हेतु महत्वपूर्ण सूचना”

आयोग के विज्ञापन क्र. 28/2022/परीक्षा दिनांक 26.11.2022 के तहत राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2022 की लिखित परीक्षा दिनांक 12 फरवरी 2023 (रविवार) को दो सत्रों में 28 जिला क्रमशः - रायपुर, दुर्ग-भिलाई, जगदलपुर, अम्बिकापुर, बिलासपुर, बैकुण्ठपुर (कोरिया), धमतरी, दन्तेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम (कवर्धा), कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, गरियाबंद, नारायणपुर, कोण्डागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी है।

02/ वर्तमान में जारी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2022 में दिव्यांगजनों को सह-लेखक की सुविधा दिये जाने/अथवा रखे जाने की अनुमति दिये जाने संबंधी निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं: -

- (i) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पत्र क्रमांक F.No. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, उसे सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते हैं अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते हैं।
- (ii) स्वयं के अथवा जिला/संभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। अपना सह लेखक लाने या जिला/संभाग कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला/संभाग कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 पर उपलब्ध प्रारूप में प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-4 में सहलेखक के हस्ताक्षर के साथ अपने पास सुरक्षित रखा जाना है। जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु अभ्यर्थी को पूरी तरह से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित (सक्षम अधिकारी, सहलेखक एवं स्वयं जो भी लागू हो) प्रपत्र 01, 02, 03 एवं 04 प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक के सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनों ही स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला/संभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी

अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

- (iii) नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला/संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला/संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थी कृपया सहलेखक के संबंध में अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक 20.12.2022 तक अनिवार्य रूप से उल्लेख कर लें। (विस्तृत निर्देश एवं प्रपत्र हेतु आयोग विज्ञापन क्रमांक विज्ञापन क्र. 28/2022/परीक्षा दिनांक 26.11.2022 भलीभांति अध्ययन करें)।

3/ अभ्यर्थी एवं उनके सहलेखक द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2022 में केल्व्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी एवं सहलेखक को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्व्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर और स्मार्ट वॉच लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

4/ परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

सचिव  
छ.ग. लोक सेवा आयोग,  
रायपुर